न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
07/2018 प्रा.पत्र/2018	05.02.2018	16.10.2025

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय जिला खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री श्याम सुन्दर मंगल पुत्र श्री नौरत मंगल एफ.बी.ओ. मैसर्स मंगलम एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 12 सदर बाजार देवली जिला टोंक (राज.)
2–मैसर्स मंगलम एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक राज.।
3–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता प्रोपरायटर मैसर्स बी.पी. मार्केटिंग ए–15, सुभाष नगर, शॉपिंग सेन्टर, जयपुर राज. निवासी ए–15, सुभाष नगर, शॉपिंग सेन्टर, जयपुर राज.।
4–मैसर्स बी.पी. मार्केटिंग ए–15, सुभाष नगर, शॉपिंग सेन्टर, जयपुर राज.।
5–श्री ओमप्रकाश बाजपेई पुत्र श्री बच्चन लाल बाजपेई नॉमिनी मैसर्स शुभम गोल्डी मसाले प्रा. लि. 51/40, गोल्डी हाउस, नयागंज, कानपुर पिनकोड–208001 निवासी 30, बर्रा 5 मिनी एल.आई.जी. कानुपर।
6–मैसर्स शुभम गोल्डी मसाले प्रा. लि. 51/40, गोल्डी हाउस, नयागंज, कानपुर पिनकोड–208001।

.....अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थीगण श्री अशोक कासलीवाल, श्री भागचन्द बैरवा उप0।

:–निर्णय–: दिनांक 16/10/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.10.2017 को समय 04:26 पी.एम. पर मैसर्स मंगलम एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री श्याम सुन्दर मंगल पुत्र श्री नौरत मंगल अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, श्री श्याम सुन्दर मंगल पुत्र श्री नौरत मंगल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री श्याम सुन्दर मंगल पुत्र श्री नौरत मंगल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया तथा मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विकय करने हेतु प्रतिष्ठान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ **कसूरी मैथी गोल्डी मूल पैक (Kasoori Methi Goldiee Origional Pack)** के 100–100 ग्राम के कुल 22 मूल पैक पैक्ड अवस्था में रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री श्याम सुन्दर मंगल पुत्र श्री नौरत मंगल फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विकेता श्री श्याम सुन्दर मंगल पुत्र श्री नौरत मंगल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये व हस्ताक्षर कर तस्दीक किया। एक प्रति विकेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विकेता को बताकर कि यह **कसूरी मैथी गोल्डी मूल पैक (Kasoori Methi Goldiee Origional Pack)** जिसके बैच नम्बर 232 एवं पैकिंग की दिनांक 09.05.2017 थी, वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 100–100 ग्राम के कुल 22 मूल पैक खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **कसूरी मैथी गोल्डी मूल पैक (Kasoori Methi Goldiee Origional Pack)** 100–100 ग्राम के कुल 22 मूल पैक में से 5–5 पैकेटों को एक साथ बांधकर नियमानुसार चार भाग तैयार कर, नियमानुसार लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–1743 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1743 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

विकेता श्री श्याम सुन्दर मंगल पुत्र श्री नौरत मंगल मैसर्स मंगलम एजेन्सीज नेहरू मार्केट देवली जिला टोंक ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स बी.पी. मार्केटिंग ए–15, सुभाष

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

नगर, शॉपिंग सेन्टर, जयपुर राज. का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया। आवेदक द्वारा मैसर्स बी.पी. मार्केटिंग से सम्पर्क किए जाने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने बतौर वारन्टी मैसर्स शुभम गोल्डी मसाले प्रा. लि. 51/40, गोल्डी हाउस, नयागंज, कानपुर का वारन्टी बिल प्रेषित कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/4779 दिनांक 04.12.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./647/एक्ट/2017/697 दिनांक 31.10.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **कसूरी मैथी गोल्डी मूल पैक (Kasoori Methi Goldiee Origional Pack)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से अभिभाषक श्री अशोक कासलीवाल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है। यह मानव उपयोग के लिए किसी तरह हानिकारक नहीं है। इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारी सही प्रारूप में अंकित है। उक्त खाद्य पदार्थ मात्र कुछ मानकों को पूरा नहीं करने के कारण अवमानक स्तर का होना पाया गया है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **कसूरी मैथी गोल्डी मूल पैक (Kasoori Methi Goldiee Origional Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावें।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **कसूरी मैथी गोल्डी मूल पैक (Kasoori Methi Goldiee Origional Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार रूपये)

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सौंकरिया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज.